298

संख्या– /XXVVIII-4-2016-75/2016

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2. मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 19 दिसम्बर, 2016

विषय–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा कार्यक्रम में कार्यरत आशा फैसिलिटेटर, ब्लाक समन्वयक एवं कम्यूनिटी मोबिलाइजर को ₹ 2000 से ₹ 5000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–UKHFWS/NHM/ASHA letter/2016-17/7476, दिनांक 13.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– उक्त विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशा कार्यक्रम में कार्यरत आशा फैसिलिटेटर, ब्लाक समन्वयक एवं कम्यूनिटी मोबिलाइजर को स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के कियान्वयन में Performance based लक्ष्य प्राप्ति पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि ₹ 2000 से ₹ 5000 प्रतिमाह निम्नवत् प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(क) आशा फैसिलिटेटर द्वारा विभागीय कार्यों में ग्रेड I, ग्रेड II तथा ग्रेड III के लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, तो उन्हें उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के सापेक्ष लगभग ₹2000/– से ₹ 5000/– दिया जायेगा। आशा फैसिलिटेटर हेतु ग्रेड I, ग्रेड II तथा ग्रेड III के लक्ष्य निर्धारण एवं उसके सापेक्ष प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि का विवरण (संलग्नक–1) पर अवलोकनीय है।

(ख) ब्लॉक समन्वयक एवं कम्यूनिटी मोबिलाइजर द्वारा यदि विभागीय कार्यों में 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत एवं 95 प्रतिशत तक लक्ष्य प्राप्त किया जाता है, तो उन्हें उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के सापेक्ष लगभग ₹ 2000/– से ₹ 5000/– दिया जायेगा। ब्लॉक समन्वयक एवं कम्यूनिटी मोबिलाइजर हेतु 80 प्रतिशत, 90 प्रतिशत एवं 95 प्रतिशत तक लक्ष्य निर्धारण एवं उसके सापेक्ष प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि का विवरण **(संलग्नक–2)** पर अवलोकनीय है।

3– यह आदेश वित्त अनुभाग–3 के अशासकीय संख्या–209(P)/XXVII(3)/2016, दिनांक 17 दिसम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव
(लिंक अधिकारी)

संख्या– 117 (1)/XXVVIII-4-2016-75/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा–स्वास्थ्य मंत्री को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव–प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
6. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, कोषागार, 23 लक्ष्मी रोड, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड। (द्वारा महानिदेशक)
9. वित्त नियंत्रक, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 ~~एन0आई0सी0~~, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संलग्नक–1

कार्यक्रम	आख्या	ग्रेड I(80% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु)	प्रोत्साहन धनराशि	ग्रेड II (90 % लक्ष्य प्राप्त करने हेतु)	प्रोत्साहन धनराशि	ग्रेड III (95% लक्ष्य प्राप्त करने हेतु)	प्रोत्साहन धनराशि
प्रसव पूर्व 04 जाँचें	वर्ष 2015–16 के National Health Family Survey के अनुसार 31 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं के द्वारा प्रसव पूर्व की चौथी जाँच की सुविधा प्राप्त की जाती है।	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के द्वारा पंजीकृत की गई कुल गर्भवती महिलाओं में से 80 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की Line Listing कराये जाने व प्रसव पूर्व की 04 जाँचों की समस्त सुविधाएं सुनिश्चित उपलब्ध कराये जाने हेतु।	200/–	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के द्वारा पंजीकृत की गई कुल गर्भवती महिलाओं में से 90 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की Line Listing कराये जाने व प्रसव पूर्व की 04 जाँचों की समस्त सुविधाएं सुनिश्चित उपलब्ध कराये जाने हेतु।	300/–	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के द्वारा पंजीकृत की गई 95 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं की Line Listing कराये जाने व प्रसव पूर्व की 04 जाँचों की समस्त सुविधाएं सुनिश्चित उपलब्ध कराये जाने हेतु।	500/–
संस्थागत प्रसव हेतु	वर्ष 2015–16 के National Health Family Survey के अनुसार 69 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं के द्वारा संस्थागत प्रसव की सुविधा प्राप्त की जाती है।	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का 80 प्रतिशत संस्थागत प्रसव जाने व साथ ही उन महिलाओं का जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत बैंक एकाउंट खुलवाये जाने तथा महिला के बैंक एकाउंट की एन्ट्री MCTS में सुनिश्चित कराये जाने हेतु।	200/–	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का 90 प्रतिशत संस्थागत प्रसव जाने व साथ ही उन महिलाओं का जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत बैंक एकाउंट खुलवाये जाने तथा महिला के बैंक एकाउंट की एन्ट्री MCTS में सुनिश्चित कराये जाने हेतु।	300/–	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र की गर्भवती महिलाओं का 95 प्रतिशत संस्थागत प्रसव कराये जाने व साथ ही उन महिलाओं का जननी सुरक्षा योजना के अतंर्गत बैंक एकाउंट खुलवाये जाने तथा महिला के बैंक एकाउंट की एन्ट्री MCTS में सुनिश्चित कराये जाने हेतु।	500/–
टीकाकरण	टीकाकरण– AHS (Annual Health Survey) के अनुसार उत्तराखंड राज्य का टीकाकरण लगभग 80 प्रतिशत है।	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 80 प्रतिशत तक टीकाकरण सुनिश्चित कराये जाने हेतु।	200/–	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 90 प्रतिशत तक टीकाकरण सुनिश्चित कराये जाने हेतु।	300/–	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 95 प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित कराये जाने हेतु।	500/–
परिवार नियोजन	परिवार नियोजन की स्थायी सुविधा उपलब्ध कराये	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत	150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा	200	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा	250

	जाने हेतु।	समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 80 प्रतिशत तक परिवार नियोजन हेतु लाभार्थियों की सूची बनाये जाने व परिवार नियोजन की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु।		कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 90 प्रतिशत तक परिवार नियोजन हेतु लाभार्थियों की सूची बनाये जाने व परिवार नियोजन की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु।		कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 95 प्रतिशत तक परिवार नियोजन हेतु लाभार्थियों की सूची बनाये जाने व परिवार नियोजन की सुनिश्चित सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु।	

- आशा फैसिलिटेटर के अधीन कार्यरत प्रत्येक आशा कार्यकत्री के द्वारा वर्ष में कम से कम 02 स्थायी परिवार नियोजन के केस कराया जाना अनिवार्य है। राज्य के अन्तर्गत कार्यरत कुल आशा फैसिलिटेटर की संख्या 606 तथा आशा कार्यकत्रियों की सख्या 11086 है। जिसके आधार पर आशा फैसिलिटेटर के सहयोग से प्रति आशा के द्वारा वर्ष में 02 केस कराये जाने पर कुल 22172 (11086*2=22172) परिवार नियोजन के केस कराये जा सकते है।
- राज्य में औसतन 01 आशा फैसिलिटेटर के अधीन अनुमानित 18 आशायें (11086/606= 18) कार्यरत है। इस प्रकार 01 आशा फैसिलिटेटर के द्वारा वर्ष में कुल रु0 3600 (18*200 =Rs 3600) की धनराशि प्राप्त की जा सकती है, जो कि प्रतिमाह रू0 300 प्रति आशा फैसिलिटेटर को देय होगी। इसके साथ प्रत्येक आशा फैसिलिटेटर के द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उसके अधीन कार्यरत आशाओं के द्वारा कराये गये परिवार नियोजन के केसो में कम से कम 10 प्रतिशत पुरूष नसबन्दी के केस होने अनिवार्य है।

मातृ मृत्यु की सूचना दिये जाने पर	Annual Health Survey 2012.13 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortility Ratio) 165 प्रति एक लाख जीवित जन्म है।	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में हुई मातृ मृत्यु में से 80 प्रतिशत तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।	150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में हुई मातृ मृत्यु में से 90 प्रतिशत तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।	200	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में हुई मातृ मृत्यु में से 95 प्रतिशत तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।	250

वर्ष 2011 के Census के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या लगभग 10116752 है। Annual Health Survey 2012.13 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य का मातृ मृत्यु अनुपात (Maternal Mortility Ratio) 165 प्रति एक लाख जीवित जन्म है। उत्तराखण्ड राज्य का जन्म दर 18.2 प्रति हजार है। इस प्रकार उपरोक्त आंकडों के आधार पर एक वर्ष में लगभग 304 महिलाओं की गर्भावस्था से प्रसव के 42 दिन के भीतर की अवधि में मातृ मृत्यु होने की संभावना है। यह मातृ मृत्यु समुदाय, अस्पताल या महिला के उपचार हेतु चिकित्सालय ले जाने के दौरान हो सकती है। यदि आशा फैसिलिटेटर द्वारा उसकी आशा कार्यकत्री के कार्यक्षेत्र में हुयी मातृ मृत्यु की सूचना 24 घण्टे के भीतर सम्बधित चिकित्साधिकारी/ए0एन0एम0/ब्लाक कार्डीनेटर को उपलब्ध करायी जायेगी, व समुदाय में हुयी मातृ मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त कर आशा को उक्त के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी। जिससें कि उस समुदाय पुनः उस कारण से मातृ मृत्यु न हो, तो उस आशा फैसिलिटेटर को मातृ मृत्यु की सूचना दिये जाने हेतु आशा कार्यकत्री रु0 200/– की प्रोत्साहन धनराशि निर्गत की जा सकती है।

शिशु मृत्यु की सूचना दिये जाने पर	SRS 2013 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की शिशु मृत्यु दर (Infant Mortility Rate) 32 प्रति एक हजार जीवित जन्म है।	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में हुई शिशु मृत्यु में से 80 प्रतिशत तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।	150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में हुई शिशु मृत्यु में से 90 प्रतिशत तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।	200	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में हुई शिशु मृत्यु में से 95 प्रतिशत तक सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु।	250

	• वर्ष 2011 के Census के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की जनसंख्या लगभग 10116752 है। SRS 2013 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की शिशु मृत्यु दर (Infant Mortility Rate) 32 प्रति एक हजार जीवित जन्म है। उत्तराखण्ड राज्य में एक वर्ष में जन्म लेने वाले अनुमानित शिशु ओं की संख्या 178233 है। इस प्रकार उपरोक्त आंकडों के आधार पर एक वर्ष में लगभग 5703 शिशु ओं की मृत्यु होने का अनुमान है। यदि किसी आशा फैसिलिटेटर द्वारा उसकी आशा के कार्यक्षेत्र में हुयी शिशु मृत्यु की सूचना 24 घण्टे के भीतर सम्बधित चिकित्साधिकारी/ए0एन0एम0/ब्लाक समन्वयक को उपलब्ध करायी जायेगी, व समुदाय में हुयी शिशु मृत्यु के कारण के बारे में जानकारी प्राप्त कर आशा को उक्त के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी जिससे कि उस समुदाय पुनः उस कारण से शिशु मृत्यु न हो। • अतः आशा फैसिलिटेटर को अपने क्षेत्र में आशाओं द्वारा उक्त कार्य सुनिश्चित कराने हेतु लक्ष्य के क्रम में/ग्रेडवार रू0 150/200/250 दिया जाना प्रस्तावित है। •							
कुपोषित बच्चों की पहचान किये जाने व उनको कुपोषण से संबधित उपचार उपलब्ध कराये जाने हेतु	Census 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या 1,011,6,752 है। जिसमें से लगभग 1011675 बच्चे 0 से 05 वर्ष तक की आयु के होते है।	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 80 प्रतिशत तक कुपोषित बच्चों की सूची की जॉच किये जाने व सम्बन्धि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु।	150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 90 प्रतिशत तक कुपोषित बच्चों की सूची की जॉच किये जाने व सम्बन्धि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु।	200	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 95 प्रतिशत तक कुपोषित बच्चों की सूची की जॉच किये जाने व सम्बन्धि चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु।	250
	• Census 2011 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की कुल जनसंख्या 1,011,6,752 है। जिसमें से लगभग 1011675 बच्चे 0 से 05 वर्ष तक की आयु के होते है। वर्ष 2015–16 के छठे के सर्वे के अनुसार 10,11,675 बच्चों में से लगभग 19.5 प्रतिशत बच्चे (1,97,277 बच्चे) कुपोषित पाये गये है तो वर्ष में 2016–17 में भी अनुमानित 1,97,277 बच्चे कुपोषित हो सकते है। आशा फैसिलिटेटर द्वारा उसकी समस्त आशा कार्यकत्रि के कार्यक्षेत्र में कुपोषित बच्चों की पहचान के बारे में आशा के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के पश्चात उसे आवश्यकता के अनुसार आशा के माध्यम से NRC में संदर्भित किया जाता है व लगातार उस बच्चे का अपने स्तर से 04 फालोअप किया जाता है। • अतः आशा फैसिलिटेटर को अपने क्षेत्र में आशाओं द्वारा उक्त कार्य सुनिश्चित कराने हेतु लक्ष्य के क्रम में/ग्रेडवार रू0 150/200/250 दिया जाना प्रस्तावित है।							
एन.सी.डी कार्यक्रम के अन्तर्गत	30 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों में गैर संचारी रोगों की पूर्व जांच व फोलोअप करने हेतु भारत सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का मानदेय दिये जाने का प्रावधान नही है	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 80 प्रतिशत लोगों के एन.सी.डी. कार्ड बनवाये जाने हेतु।	100	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 90 प्रतिशत लोगों के एन. सी.डी. कार्ड बनवाये जाने हेतु।	150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 95 प्रतिशत लोगों के एन. सी.डी. कार्ड बनवाये जाने हेतु।	200
	• एन.सी.डी कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र की आशाओं के द्वारा फेस 1 (3 माह) में लगभग 300 लोगों में से कम से कम 85 प्रतिशत लोगो के NCD कार्ड भराये जाने हेतु प्रति आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह रू0 100 की प्रोत्साहन धनराशि निर्गत की जा सकती है। • एन.सी.डी कार्यक्रम के अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की आशाओं के द्वारा फेस 1 (3 माह) में लगभग 165 लोगों में से कम से कम 95 प्रतिशत लोगों के NCD कार्ड भराये जाने हेतु प्रति आशा फैसिलिटेटर को राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह रू0 200 की प्रोत्साहन धनराशि निर्गत की जा सकती है। • अतः आशा फैसिलिटेटर को अपने क्षेत्र में आशाओं द्वारा उक्त कार्य सुनिश्चित कराने हेतु लक्ष्य के क्रम में/ग्रेडवार रू0 100/150/200 दिया जाना प्रस्तावित है।						
सी.डी कार्यक्रम के अन्तर्गत	भारत सरकार द्वारा वर्तमान में संचारी रोगों हेतु	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा	100	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा	150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र	300

	घरों का सर्वे किये जाने पर किसी भी प्रकार का मानदेय दिये जाने का प्रावधान नहीं है।	कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 80 प्रतिशत संचारी रोगों हेतु घरों का सर्वे किये जाने हेतु।		कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 90 प्रतिशत संचारी रोगों हेतु घरों का सर्वे किये जाने हेतु।		में 95 प्रतिशत संचारी रोगों हेतु घरों का सर्वे किये जाने हेतु।		
		• सी.डी कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसकी समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में 85 प्रतिशत संचारी रोगों हेतु घरों का सर्वे किये जाने पर राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह रु0 100 की प्रोत्साहन धनराशि निर्गत की जा सकती है। • सी.डी कार्यक्रम के अन्तर्गत आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसकी समस्त आशाओं के कार्यक्षेत्र में 95 प्रतिशत संचारी रोगों हेतु घरों का सर्वे किये जाने पर राज्य सरकार के द्वारा प्रतिमाह रु0 200 की प्रोत्साहन धनराशि निर्गत की जा सकती है। • अतः आशा फैसिलिटेटर को अपने क्षेत्र में आशाओं द्वारा उक्त कार्य सुनिश्चित कराने हेतु लक्ष्य के क्रम में/ग्रेडवार ₹ 100/150/200 दिया जाना प्रस्तावित है।					
बाल एवं मातृत्व सम्मान दिवस	वर्ष 2016–17 के माह सितम्बर 2016 से राज्य की प्रत्येक आंगनवाडी में मनाया जाना है	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 80 प्रतिशत तक एनीमिक गर्भवती महिलाओं व किशोरियों की स्पदम स्पेजपदह किये जाने, माताओं द्वारा नवजात शिशु ओं को सुनिश्चित स्तनपान कराये जाने तथा गर्भवती महिलाओं व किशोरियों को ल्यूकोरिया से संबधित परामर्श व उपचार की सुविधा कराये जाने हेतु।	1150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 90 प्रतिशत तक एनीमिक गर्भवती महिलाओं व किशोरियों की स्पदम स्पेजपदह किये जाने, माताओं द्वारा नवजात शिशु ओं को सुनिश्चित स्तनपान कराये जाने तथा गर्भवती महिलाओं व किशोरियों को ल्यूकोरिया से संबधित परामर्श व उपचार की सुविधा कराये जाने हेतु।	250	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 95 प्रतिशत तक एनीमिक गर्भवती महिलाओं व किशोरियों की स्पदम स्पेजपदह किये जाने, माताओं द्वारा नवजात शिशु ओं को सुनिश्चित स्तनपान कराये जाने तथा गर्भवती महिलाओं व किशोरियों को ल्यूकोरिया से संबधित परामर्श व उपचार की सुविधा कराये जाने हेतु।	500
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	उपचार हेतु बच्चों की पहचान किये जाने व उनका फॉलोअप किये जाने हेतु।	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 80 प्रतिशत जन्मजात विकृतियों के बच्चों को चिन्हित (identify) किये जाने व उन बच्चों को सुनिश्चित उपचार की सुविधा प्राप्त करने के पश्चात लगातार फॉलोअप किये जाने हेतु।	50	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 90 प्रतिशत जन्मजात विकृतियों के बच्चों को चिन्हित (identify) किये जाने व उन बच्चों को सुनिश्चित उपचार की सुविधा प्राप्त करने के पश्चात लगातार फॉलोअप किये जाने हेतु।	250	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में 95 प्रतिशत जन्मजात विकृतियों के बच्चों को चिन्हित (identify) किये जाने व उन बच्चों को सुनिश्चित उपचार की सुविधा प्राप्त करने के पश्चात लगातार फॉलोअप किये जाने हेतु।	500
वी0एच0एस0एन0सी0 (VHSNC)	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में प्रतिमाह 80 प्रतिशत तक वी0एच0एस0एन0 सी0 की बैठक कराये जाने हेतु।	150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में प्रतिमाह 90 प्रतिशत तक वी0एच0एस0एन0सी0 की बैठक कराये जाने हेतु।	250	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों के कार्यक्षेत्र में प्रतिमाह 95 प्रतिशत तक वी0एच0एस0एन0सी0 की बैठक कराये जाने हेतु।	500

आशा/ए0एन0एम0/ आंगनवाडी रजिस्टर	पंजीकरण किये जाने हेतु	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत 80 प्रतिशत आशा कार्यकत्रियों के III Register में गर्भवती महिलाओं/टीकाकरण हेतु बच्चों/लक्ष्य दम्पत्ति आदि का पंजीकरण कराये जाने हेतु।	150	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत 90 प्रतिशत आशा कार्यकत्रियों के III Register में गर्भवती महिलाओं/ टीकाकरण हेतु बच्चों/लक्ष्य दम्पत्ति आदि का पंजीकरण कराये जाने हेतु।	250	आशा फैसिलिटेटर के द्वारा उसके अन्तर्गत कार्यरत 95 प्रतिशत आशा कार्यकत्रियों के III Register में गर्भवती महिलाओं/ टीकाकरण हेतु बच्चों/ लक्ष्य दम्पत्ति आदि का पंजीकरण कराये जाने हेतु।	500
	आशा फैसिलिटेटरों के द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में प्रतिमाह Group Activity की जाती है जिसमे उनके द्वारा गर्भवती महिलाओं की सूची, टीकाकरण हेतु बच्चों की सूची, लक्ष्य दम्पत्तियों की सूची, घरों का सर्वे व गांव मे हुयी जन्म व मृत्यु का रिकार्ड रखा जाता है। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली प्रोत्साहन धनराशि हेतु आशा फैसिलिटेटर को प्रतिमाह अपनी समस्त आशाओं के द्वारा की जा रही Group Activity की जाँच की जानी होगी। जिससे कि आशा फैसिलिटेटर को ज्ञात हो सके कि उसकी किस आशा के कार्यक्षेत्र में कौन सी गतिविधि को कराये जाने में उसके द्वारा सहयोग प्रदान किया जाना है।							
		2000/-		3000/-		5000/-		

उपरोक्तानुसार प्रत्येक आशा फैसिलिटेटर के द्वारा कार्यों के सापेक्ष लक्ष्य प्राप्त किये जाते है तो राज्य में कार्यरत कुल 606 आशा फैसिलिटेटर को अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने पर राज्य सरकार पर निम्नानुसार वित्तीय भार आयेगा।

आशा फैसिलिटेटर द्वारा अपने अधीन कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों से 80 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर	आशा फैसिलिटेटर द्वारा अपने अधीन कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों से 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर	आशा फैसिलिटेटर द्वारा अपने अधीन कार्यरत समस्त आशा कार्यकत्रियों से 95 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर
606 X 2000 = 1212000 प्रतिमाह	606 X 3000 = 1818000 प्रतिमाह	606 X 5000 = 3030000 प्रतिमाह
1212000 X 12 माह = 14544000 प्रतिवर्ष	1818000 X 12 माह = 21816000 प्रतिवर्ष	3030000 X 12 माह = 36360000 प्रतिवर्ष

ब्लाक समन्वयक

प्रत्येक ब्लाक समन्वयक के द्वारा अपने अधीन कार्यरत आशा फैसिलिटेटर्रों के माध्यम से प्रसव पूर्व 04 जाँचें, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, परिवार नियोजन, मातृ मृत्यु की सूचना दिये , शिशु मृत्यु की सूचना दिये जाने ,कुपोषित बच्चों की पहचान किये जाने व उनको कुपोषण से संबधित उपचार उपलब्ध कराये जाने, एन.सी.डी कार्यक्रम, सी.डी कार्यक्रम, बाल एवं मातृत्व सम्मान दिवस, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, वी0एच0एस0एन0 सी0 (VHSNC) एवं आशा/ए0एन0एम0/आंगनवाडी रजिस्टर का कार्य निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने तक किया जाता है तो समस्त जनपदों के विकासखण्ड में कार्यरत कुल 101 ब्लाक समन्वयक को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन धनराशि प्रदान किये जाने पर राज्य सरकार पर निम्नानुसार वित्तीय भार आयेगा।

ब्लाक समन्वयक द्वारा अपने अधीन कार्यरत आशा फैसिलिटेटर से 80 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर	ब्लाक समन्वयक द्वारा अपने अधीन कार्यरत आशा फैसिलिटेटर से 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर	ब्लाक समन्वयक द्वारा अपने अधीन कार्यरत आशा फैसिलिटेटर से 95 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर
101 X 2000 = 202000 प्रतिमाह	101 X 3000 माह = 303000 प्रतिमाह	101 X 5000 = 505000 प्रतिमाह
20200 X 12 माह = 2424000 प्रतिवर्ष	30300 X 12 माह = 3636000 प्रतिवर्ष	505000X 12 माह = 6060000 प्रतिवर्ष

कम्यूनिटी मोबिलाइजर

प्रत्येक कम्यूनिटी मोबिलाइजर के द्वारा अपने अधीन कार्यरत ब्लाक समन्वयक, आशा फैसिलिटेटर्रों एवं आशा कार्यकत्रियों के माध्यम से प्रसव पूर्व 04 जाँचें, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, परिवार नियोजन, मातृ मृत्यु की सूचना दिये , शिशु मृत्यु की सूचना दिये जाने ,कुपोषित बच्चों की पहचान किये जाने व उनको कुपोषण से संबधित उपचार उपलब्ध कराये जाने, एन.सी.डी कार्यक्रम, सी.डी कार्यक्रम, बाल एवं मातृत्व सम्मान दिवस, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, वी0एच0एस0एन0 सी0 (VHSNC) एवं आशा/ए0एन0एम0/आंगनवाडी रजिस्टर का कार्य निम्न लक्ष्यों को प्राप्त करने तक कार्य किया जाता है तो जनपद स्तर पर कार्यरत कुल 13 कम्यूनिटी मोबिलाइजर को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने पर निम्नानुसार वित्तीय भार आयेगा।

कम्यूनिटी मोबिलाईजर द्वारा अपने अधीन कार्यरत ब्लॉक समन्वयक,आशा फैसिलिटेटर से 80 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर	कम्यूनिटी मोबिलाईजर द्वारा अपने अधीन कार्यरत ब्लॉक समन्वयक, आशा फैसिलिटेटर से 90 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर	कम्यूनिटी मोबिलाईजर द्वारा अपने अधीन कार्यरत ब्लॉक समन्वयक, आशा फैसिलिटेटर से 95 प्रतिशत तक कार्य पूर्ण करवाये जाने पर
13 X 2000 = 26000 प्रतिमाह	13 X 3000 = 39000 प्रतिमाह	13 X 5000 = 65000 प्रतिमाह
26000 X 12 माह= 312000 प्रतिवर्ष	39000 X 12 माह= 468000 प्रतिवर्ष	65000 X 12 माह = 780000 प्रतिवर्ष